कार्यालय जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा।

निर्देशानुसार ग्राम पंचायत स्तर पर गरीब, असहाय, अशिक्षित, वंचित लोगो, महिलाओ एवं बच्चे को कानून के बारे में जानकारी देने, कानूनी सहायता के संबंध में जानकारी देने हेतु "पैरा विधिक" स्वयंसेवक का पैनल तैयार करने के लिए निर्धारित प्रपत्र में आवेदन आमंत्रित किये जाते है। आवेदक को साक्षर होना आवश्यक है। मैट्रिक उत्तीर्ण आवेदकों को वरीयता दी जायेगी। शिक्षक (सेवानिवृत शिक्षक भी) सेवा निवृत सरकारी कर्मचारी, विद्यार्थी, आगनबाड़ी सेविका, डॉक्टर, विधि छात्र (अधिवक्ता नहीं) गैर राजनीतिक सदस्य, सेवा देने वाले गैर सरकारी संस्था (एन0जी0ओ0) विभिन्न महिला समूह, शिक्षित कैदी (जिन्हें लम्बी सजा मिली हो तथा उनका आचरण अच्छा हो) भी आवेदन करने के पात्र होगें। इसमें महिलाओं को प्राथमिकता दी जाएगी। आवेदकों को वेतन या किसी प्रकार की पारिश्रमिक या मजदूरी देय नहीं होगी, प्रभावी कार्य दिवस पर प्रतिदिन की गणना के आधार पर राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा समय–समय पर संशोधित मानदेय देय होगा। जो वर्तमान में 500रु / –(पाँच सौ रुपये) प्रति प्रभावी कार्य दिवस है। आवेदकों का चयन समिति द्वारा साक्षात्कार के पश्चात् किया जाएगा। आवेदन–पत्र दिनांक 10.03.2021 तक सचिव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार, सहरसा को प्राप्त हो जाना चाहिये, उसके पश्चात् आवेदन पर विचार नहीं किया जायेगा। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि के पश्चात् साक्षात्कार की तिथि के लिए कार्यालय के नोटिश बोर्ड देखे, सम्पर्क करें। सनद रहे कि किसी भी आवेदक का नाम पैनल (सूचीकरण) में शामिल होने का तात्पर्य किसी प्रकार का नियोजन या नौकरी नहीं है। पैनल की अवधि अधिकतम एक वर्ष होगी।

26/02/2021

सचिव
जिला विधिक सेवा प्राधिकार,
सहरसा।

पैरा विधिक स्वंयसेवक के लिए आवेदन–प्रपत्र

01. आवेदक का नाम :–

02. आवेदक के पिता / पति का नाम :–

03. जन्म तिथि :–

04. आवेदक का स्थायी पता :–

05. आवेदक का वर्तमान पता
प्रखंड / पंचायत / थाना / सहित :–

06. शैक्षणिक योग्यता :–

07. आवेदक की कोटि :–
सामान्य / पिछड़ा वर्ग / अनुसूचित जाति /
अनुसूचित जनजाति,
। प्रमाण पत्र संलग्न करें।

08. आवेदक की श्रेणी । महिला / पुरुष। :–

09. आवेदक किस क्षेत्र में कार्य करना चाहते हैं :–

10. अनुभव :–

11. आवेदक का मोबाईल नम्बर । यदि हो। :–

12. आवेदक किसी भी मुकदमें में अभियुक्त हैं तो थाना कांड संख्या लिखें :–

13. आवेदक को किसी अपराधिक मामले में सजा सुनाई गई हो तो विवरण दे :–

मै घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा दिया गया उपर्युक्त विवरण पूर्णतः सत्य है तथा इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि या गलत सूचना का जिम्मेदार मै होऊँगा / होऊँगी।

तिथि :–

स्थान :–

आवेदक का हस्ताक्षर